PUNJAB KESARI, Delhi, 20.11.2017

Page No. 13, Size:(8.72)cms X (10.04)cms.

बैंकों को मिली आधार पंजीयन के लिए मशीन और नियुक्ति करने की मंजूरी

नई दिल्ली, (भाषा): भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने उम्मीद जताई कि बैंक शीघ्र ही अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में यह सेवा शुरू कर देंगे। प्राधिकरण ने ये रियायतें देते हुए उम्मीद जताई कि बैंक परिसरों में आधार पंजीयन एवं उन्नयन केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज होगी। हालांकि प्राधिकरण ने कहा कि ये छूटें सिर्फ तभी दी जाएंगी जब बैंक अपने परिसर में हो रही आधार पंजीयन एवं उन्नयन प्रक्रिया की समुचित निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

पांडे ने कहा, बैंकों ने कुछ छूट की मांग की थी ताकि वे पंजीयन मशीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल कर सकें। हमने इसीलिये उन्हें ये राहतें दे दी। अब इसका इस्तेमाल कर वे आगे बढ़ रहे हैं और केंद, बना रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि वे इसे शीघ्रता से करेंगे। पांडे ने आगे कहा कि अभी बैंकों को खुद ही मशीनों की खरीद करना होती है तथा अपना कर्मचारी डाटा एंट्री के लिए रखना होता है।